राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

परिवाद संख्या : 12/17/2704 दिनांक : 22.2.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष, श्री एच.आर. कुड़ी

चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर 2000-2500 मरीज प्रत्येक दिन भर्ती रहते हैं तथा आउटडोर में 4500-5500 मरीज दिखाने आते हैं। अस्पताल में पदस्थापित स्टॉफ की कमी है। 50-60 मरीजों के वार्ड में एक ही नर्सिंग स्टॉफ रात्रिकालीन ड्यूटी पर रहता है, जिसका सो पाना संभव नहीं है। रेजीडेन्ट डॉक्टर दिन-रात मरीजों की देखभाल करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते है। समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर के बाद स्टॉफ की मीटिंग लेकर स्टॉफ को संवेदनशील किया गया है। स्टॉफ हमेशा मुस्तैद रहता है। Matten office में Senior Nursing Staff/Componder की ड्यूटी रहती है। वह समस्त वार्ड का एवं आवश्यक सेवाओं का निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान करते हैं। समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता है।

चिकित्सा अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सवाई मानसिंह अस्पताल में स्टॉफ की कमी है। स्टॉफ की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है। जो भी स्टॉफ कार्यरत है, वह मुस्तैदी से कार्य करता है। 50-60 मरीजों के वार्ड में एक नर्सिंग स्टॉफ रहता है, जिसका सो पाना संभव नहीं है। फिर भी समय-समय पर स्टॉफ की चैकिंग की जाती है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्वीकृत पदों को अविलम्ब भरने हेतु प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा को अनुशंषा प्रेषित हो।

इस आदेश की एक प्रति चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय को भी सूचनार्थ प्रेषित हो।

पत्रावली इसी अनुरूप पत्रित हो।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

क्रमांक :

जयपुर, दिनांक : 24.01.2013

समस्त विभागाध्यक्ष,

राजस्थान, जयपुर

विषय : राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा भेजे गये परिवादों की जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग के पूर्व पत्र क्रमांक 11/17/171/8757, दिनांक 6.01.2012 के क्रम में समस्त विभागाध्यक्षों की जानकारी हेतु आयोग द्वारा निम्नांकित अतिरिक्त निर्देश प्रसारित किये गये हैं। अतः भविष्य में आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करते समय इन बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे :–

1. आयोग द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाने पर उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित परिवाद के आधार पर आवश्यक जांच एवं कार्यवाही की जाकर अधिकारी द्वारा जांच एवं कार्यवाही सही प्रकार हो चुकी है, संतुष्ट होकर रिपोर्ट आयोग को भेजी जावे।

2. विभागाध्यक्ष अपनी रिपोर्ट में आयोग को अवगत करावें कि क्या परिवाद से संबंधित मुद्दे किसी न्यायालय, अधिकरण आदि के समक्ष विचाराधीन हैं, अगर विचाराधीन हैं तो किस के द्वारा प्रकरण न्यायालय/अधिकरण में दायर किया गया है, कौन–कौन पक्षकार हैं तथा वर्तमान स्थिति क्या है। अगर निर्णय हो चुका है तो निर्णय से भी अवगत करावें। इसी प्रकार उक्त परिवाद के संबंध में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अतिरिक्त अन्य किसी आयोग अथवा Statutory Organisation आदि द्वारा रिपोर्ट चाही गई है अथवा कोई निर्देश जारी किये गये हैं तो उससे आयोग को अवगत करावें।

3 विभागाध्यक्ष द्वारा कथित रूप से जांच कर आरोप साबित नहीं मानकर आयोग को भेजी गई रिपोर्ट्स पर संतुष्ट नहीं होकर आयोग स्वयं द्वारा जांच करने पर अथवा अन्य स्वतंत्र एजेन्सी से जांच कराने पर ऐसे कई मामलों में आरोप साबित होते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ जांच अधिकारी गहराई में जाकर जांच नहीं करते हैं अथवा जांच केवल औपचारिकता स्वरूप की जाकर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तथा आयोग द्वारा जिन तथ्यों के बारे में जानकारी चाही जाती है उस विषय पर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने की बजाय वास्तविक तथ्यों के विपरीत अवांछित टिप्पणी करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर आयोग को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। भविष्य में इस तरह के मामले आयोग के सामने आने पर आयोग इसे गम्भीरता से लेगा तथा जांच करने वाले अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्यवाही करने हेतु आयोग को विचार करना पड़ सकता है।

4. यह भी देखा गया है कि कई जांच अधिकारियों द्वारा जांच केवल उनके विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से की जाती है तथा परिवादी/पीड़ित पक्ष से पूछताछ भी नहीं की जाती है। सामान्यतः जांच परिवादी/पीड़ित पक्ष से शुरू होनी चाहिये तथा उन्हें अपने परिवाद के संबंध में मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये।

5. आयोग द्वारा किसी परिवाद के सम्बन्ध में जिस अधिकारी को बुलाया जाता है तो उन्हें स्वयं को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर वांछित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए न कि किसी अधीनस्थ को भेजकर। इसी तरह आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट सचिव/उप पंजीयक, आयोग को सम्बोधित कर (माननीय अध्यक्ष/सदस्य को नहीं) उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर भेजना चाहिए जिससे रिपोर्ट तलब की गई है। किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं होगी।

6. आयोग द्वारा दस्तावेजों सहित जब किसी अधिकारी को तलब कर उस मामले में जानकारी चाही जाती है तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि न तो उन्हें परिवाद से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी होती है तथा उस विषय से सम्बन्धित केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम अथवा नियमों के सम्बन्ध में भी अनभिज्ञ रहते हैं। अतः आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिकारियों को चाहिए कि वे पूर्ण तैयारी के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होवें एवं वांछित पूर्ण जानकारी आयोग को उपलब्ध करावें।

7. कई मामलों में परिवाद में निर्धारित तारीख पेशी पर सम्बन्धित अधिकारी आयोग द्वारा बिना बुलाये ही अनावश्यक रूप से उपस्थित हो जाते है, जबकि आयोग द्वारा जब किसी अधिकारी को तलब किया जाता है तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाते हैं, अनावश्यक रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

8. आयोग के पूर्व पत्र दिनांक 6.01.2012 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि जांच रिपोर्ट के साथ अनावश्यक रूप से दस्तावेज/पत्राचार की प्रतियां नहीं भेजी जावें। इसके पश्चात् भी बहुत से विभागों द्वारा खास तौर पर शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा काफी मात्रा में अनावश्यक दस्तावेजों की प्रतियां करवाई जाकर आयोग को भेजी जा रही है। अतः उन्हें निर्देश दिये जाते है कि सामान्य तौर पर केवल Self contained जांच रिपोर्ट तैयार कर आयोग को भेजें एवं अगर कोई दस्तावेजों की प्रतियां भेजी जानी हैं तो केवल महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रतियां भेजी जावे।

9. कुछ मामलों में रिपोर्ट्स में यह अंकित किया जाता है कि परिवादी द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् अथवा दोनों पक्षों के आपस में समझौता होना बताकर लिखित में पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी सूरत में ऐसे प्रार्थना-पत्र की एक प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न कर भेजी जावें।

10. कुछ न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 176 के प्रकरण के संबंध में जांच रिपोर्ट के साथ मूल पत्रावली तथा अन्य साक्ष्य भी आयोग को अग्रेषित किये जाते हैं। धारा 176 द.प्र.सं. में जांच करने वाले समस्त न्यायिक/कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये जावें कि वे केवल जांच रिपोर्ट की प्रति आयोग को भेजें तथा मूल पत्रावली अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें।

11. पुलिस विभाग द्वारा अनेक मामलों में एक तरफ आरोप सिद्ध नहीं होना लिखा जाता है एवं दूसरी ओर धारा 107, 116 (3) द.प्र.सं. में विपक्षीगण के विरुद्ध इस्तगासा दायर करना लिखते हैं। जब आरोप सिद्ध नहीं है तो केवल परिवादी द्वारा शिकायत करने से अथवा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा उस मामले में प्रसंज्ञान लेने से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अनावश्यक रूप से निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। निरोधात्मक कार्यवाही शान्ति भंग का अंदेशा होने पर की जानी चाहिये, वह भी जिन व्यक्तियों द्वारा शान्ति भंग होने का अंदेशा हो, केवल उनके विरुद्ध।

12. आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स पर परिवाद संख्या, सन्दर्भ एवं आयोग द्वारा निर्धारित आगामी तारीख पेशी का उल्लेख आवश्यक रूप से करें।

13. आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट अगर विभागाध्यक्ष चाहें तो आयोग के ई–मेल address : rshrc@raj.nic.in पर भिजवाई जा सकती है।

भवदीय

सचिव

प्रतिलिपि उप पंजीयक, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि पैरा 1 में दिये गये निर्देशों के संबंध में एक मोहर तैयार कर विभागाध्यक्षों को भेजने वाले पत्रों में लगातार भेजी जावे।

सचिव

परिवाद संख्या : 12/27/505 दिनांक : 12.09.2012

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

आदेश दिनांक 04.07.2012 की पालना में कार्यवाही उपरान्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक एफ. 17/4 (ग) (1) मा.अ./न्याय/2008/6505 दिनांक 03.09.2012 का अवलोकन किया।

रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि में गुर्जर समाज के व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ होने से गुर्जर जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24.08.2012 को निर्णय पारित कर दिनांक 26.08.2012 को सम्बन्धित खातेदारान को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है।

2. जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक प–6 ( ) राजस/अप/परि/12/11453–55 दिनांक 28.06.2012 के अनुसार परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस थाना देवगढ़ पर दर्ज अपराध संख्या 59/12 धारा 3, 4 डायन प्रथा निवारण अधिनियम 2006 व धारा 3 (4) (5) एससी/एसटी एक्ट में बाद अनुसंधान प्रकरण में चार्जशीट नं. 107/12 दिनांक 06.06.2012 को किता की जा चुकी है।

3. समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी, देवगढ़ श्री चतरसिंह, उपनिरीक्षक के विरुद्ध नियम 17 सी.सी.ए. रूल्स, 1958 के तहत विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर उप निरीक्षक को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.09.2012 एवं जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.06.2012 की प्रति परिवादी पक्ष को उपलब्ध कराई जावे।

4. परिवाद के सम्बन्ध में दर्ज अपराध में बाद अनुसन्धान चार्जशीट किता की जा चुकी है, पक्षकारों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाया जा चुका है तथा समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी की विभागीय कार्यवाही उपरान्त दण्डित किया जा चुका है। आयोग स्तर पर इस प्रकरम में आगे कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं होने से परिवाद पत्रित किया जाता है। सम्बन्धित समस्त को तदनुसार सूचित किया जावे।

5. यह प्रकरण Reportable रहेगा।

(डॉ. एम.के. देवराजन)

सदस्य